

कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी, आजमगढ़।

प.अंक

/जि0का0का0/2025-26

दिनांक 12 नवम्बर, 2025

विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मानव विकास सेवा एवं पुष्टाहार अनुभाग उ0प्र0 शासनादेश संख्या 2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 शितम्बर 2025 द्वारा समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत आमनवाडी साहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया गया है। नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण विवरण			
			अना0	अ0धि0व0	अनु0जाति	योग
1	अहिरोला	51	25	15	11	51
2	अतरौलिया	21	11	05	05	21
3	शहर	37	21	09	07	37
4	अजमतगढ़	68	37	19	12	68
5	विलारियामंज	77	42	19	16	77
6	हरैया	59	26	19	14	59
7	जहानामंज	55	30	12	13	55
8	कोयलसा	52	25	15	12	52
9	तालमंज	71	38	16	17	71
10	गहशजमंज	48	27	10	11	48
11	मार्टीनमंज	69	34	19	16	69
12	गैहनगर	105	53	24	28	105
13	मिर्जापुर	59	29	17	13	59
14	मुग्गमपुर	39	20	11	08	39
15	पल्हना	46	22	14	10	46
16	पल्हनी	75	38	22	15	75
17	पनई	105	54	27	24	105
18	फूलपुर	73	36	17	20	73
19	सानी कीरासा	72	39	17	16	72
20	राठियांव	83	39	26	18	83
21	तहवरपुर	69	34	19	16	69
22	तरवां	124	64	33	27	124
23	ठेकमा	96	48	23	25	96
	योग	1554	793	407	355	1554

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार रिक्तिर्षी एवं आरक्षण का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा की गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश-

1. चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अनुभाग उ0प्र0 के शासनादेश संख्या 2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 शितम्बर 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।
2. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
3. रिक्त पदों (आमनवाडी साहायिका) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी।
4. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा में तत्काल श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
5. आवेदिका की आयु दिनांक 01-07-2025 को निर्धारित नोट ऑफ तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> ऑनलाइन आवेदन पर फॉर्म निर्धारित समयवाधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
7. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 05-12-2025 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।
8. उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल

DPO OFFICE LETTER 2019/2023

विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

9. विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
10. विधवा हेतु ग्रामपंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर विकास द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी, तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में माओ न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। गरीबी रेशा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण समाज कल्याण अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) का अनुपालन किया जायेगा। तहसील से ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय, निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो। आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के सजरव अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11 राज०-9 दिनांक 30.09.2011 (यथासंशोधित) के क्रम में राक्षय स्तर निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
11. उपरोक्त पदों पर भर्ती शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार तैयार की गयी मेरिट के आधार पर होगी। इसके लिये कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
12. ऑनलाइन सहायिका का पद पूर्णतः मानदेय पर आधारित है जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली लागू नहीं होगी तथा शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
13. अभ्यर्थियों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि आवेदन करने के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का गंभीरता से अध्ययन कर ले जिससे किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके।
14. ऑनलाइन आवेदन में वेबसाइट पर भरी गयी सूचना ही चयन के लिये प्रयोग की जायेगी। कोई भी अभिलेख ऑफलाईन स्वीकार नहीं किया जायेगा।


(हेमन्त सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
आजमगढ़

पृष्ठांकन पत्र संख्या 10/2351

तद दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ०प्र० लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी महोदय आजमगढ़।
- 4-समस्त उपजिलाधिकारी जनपद आजमगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चरपा कराने का कष्ट करें।
- 5-समस्त खण्ड विकास अधिकारी को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चरपा कराने का कष्ट करें।
- 6-जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि जनपद आजमगढ़ के पृष्ठ पर ऑनलाइन सहायिका के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति न्यूनतम दर पर एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के साथ भुगतान हेतु विल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) आजमगढ़।
- 8-समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त रिक्त पद की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चरपा कराना सुनिश्चित करें।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
आजमगढ़